सल नं. ....
ांक ....

नम्बर व तारी
अहकाम जो इस
की तारीख में जा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अर्पिता सोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: अपील/21/2021
GCMS NO- 2021/21

दायरा दिनांक: 25.03.2021

सुन्दरलाल पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी चक 24 एसडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

(अपीलांटस)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार (राजस्व) राजियासर स्टेशन सूरतगढ़।

(रेस्पोडेंटस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

:: निर्णय ::

दिनांक:– 20.12.2023

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा यह अपील उपतहसीलदार, राजियासर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2021 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के विरूद्ध चक 22 एसडी प0नं0 146/420 कि0 नं0 1 ता 5 की 1.265 है0 भूमि का अतिक्रमी मानकर जरिये मि.न. 42/21 अ0धा0 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत अधिकतम 50 गुणा पेनल्टी (शास्ती) 633/– रुपये अधिरोपित की गई तथा भू–अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क करने व निलाम करने का आदेश पारित किया गया, जो प्राकृतिक सिद्धान्त व कानून तथा नियमों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को नाजायज काश्त का नोटिस बाबत भूमि 22 एसडी प0न0 146/420 की 1.265 है0 नाजायज काश्त फसल रबी सम्वत 2077 बाबत नोटिस दिया गया व जबाब हेतू दिनांक 25.02.2021 तारीख तय की गई। दिनांक 25.02.221 को अपीलार्थी उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया तथा अपीलार्थी से फर्द अहकाम पर हाजरी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा जाने के लिये कह दिया। जबकि उस दिन कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। सारी कार्यवाही पीठ पीछे अनजाने ढंग से एक तरफा की गई है जो काबिल निरस्ती के है। चूंकि अपीलकृत आदेश दिनांक 25.02.2021 में जबाब नोटिस प्रस्तुत किया जाना स्वीकार्य तथ्य है, परन्तु साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतू अदालत मातहत द्वारा ना ही निर्देशित किया गया और ना ही अवसर दिया गया। अपीलकृत वर्णित भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि थी जो धारा 11–14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत दिनांक 20.11.2020 को रकबा राज घोषित करने के निर्णय से पूर्व अपीलार्थी द्वारा रबी फसल सम्वत 2077 सितम्बर अक्टूबर गाह मे ही बुवाई कर दी थी। उस वक्त अपीलार्थी भूमि का खातेदार था, भूमि रकबाराज नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा रकबाराज भूमि काश्त नहीं की गई, उस सूरत में पश्चातवर्ती निर्णयों से अपीलार्थी द्वारा की गई पूर्ववर्ती काश्त नाजायज काश्त की श्रेणी में नहीं आती हैं। अपीलांट के विरूद्ध आदेश पालना किये जाने योग्य नही है, बल्कि काबिल निरस्ती के हैं। अतः मातहत न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर करते हुये विस्तृत निर्णय पारित नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकृत योग्य है। अतः जैरअपील आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी हाजिर आये। रेस्पोडेंट राज पैरोकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलार्थी को नाजायज काश्त का नोटिस बाबत भूमि 22 एसडी प0न0 146/420 की 1.265 है0 नाजायज काश्त फसल रबी सम्वत 2077 ... दिया गया व दिनांक 25.02.221 को अपीलार्थी उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया ... अपी... से फर्द अहकाम पर हाजरी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा जाने के लिये कह दिया ... कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। जैरअपील आदेश की अपीलांट को कतई जानकारी नहीं ... सर्वप्रथम जानकारी दिनांक ...21 को पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि हमें फसल कुर्क करने का आदेश मिला है। गिरदाव... 2–4

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:18:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

787

Scanned with OKEN Scanner

दिन में आकर फसल कुर्क करेंगे। उसी दिन अपीलांट को जैर अपील आदेश का ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही नकल का आवेदन किया व दिनांक 24.03.2021 को नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर रहा हूँ देरी का कारण प्राकृतिक है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि देरी को माफ फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

पैरोकार राज ने उक्त प्रार्थना पत्र का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर की। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उसके उपरांत गुणावगुण पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध चक 22 एसडी प0नं0 146/420 कि0 नं0 1 ता 5 की 1.265 है0 भूमि का अतिक्रमी मानकर जरिये मि.न. 42/21 अ0धा0 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत अधिकतम 50 गुणा पेनल्टी (शास्ती) 633/– रुपये अधिरोपित की गई तथा भू–अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क करने व निलाम करने का आदेश पारित किया गया, जो प्राकृतिक सिद्धान्त व कानून तथा नियमों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को नाजायज काश्त का नोटिस बाबत भूमि 22 एसडी प0न0 146/420 की 1.265 है0 नाजायज काश्त फसल रबी सम्वत 2077 बाबत नोटिस दिया गया व जबाब हेतू दिनांक 25.02.2021 तारीख तय की गई। दिनांक 25.02.221 को अपीलार्थी उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया तथा अपीलार्थी से फर्द अहकाम पर हाजरी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा जाने के लिये कह दिया। जबकि उस दिन कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। सारी कार्यवाही पीठ पीछे अनजाने ढंग से एक तरफा की गई है जो काबिल निरस्ती के है। चूंकि अपीलकृत आदेश दिनांक 25.02.2021 में जबाब नोटिस प्रस्तुत किया जाना स्वीकार्य तथ्य है, परन्तु साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतू अदालत मातहत द्वारा ना ही निर्देशित किया गया और ना ही अवसर दिया गया। अपीलकृत वर्णित भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि थी जो धारा 11–14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत दिनांक 20.11.2020 को रकबा राज घोषित करने के निर्णय से पूर्व अपीलार्थी द्वारा रबी फसल सम्वत 2077 सितम्बर अक्टूबर माह मे ही बुवाई कर दी थी। उस वक्त अपीलार्थी भूमि का खातेदार था, भूमि रकबाराज नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा रकबाराज भूमि काश्त नहीं की गई, उस सूरत में पश्चातवर्ती निर्णयों से अपीलार्थी द्वारा की गई पूर्ववर्ती काश्त नाजायज काश्त की श्रेणी में नहीं आती हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलकृत आदेश दिनांक 25.02.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब में पैरोकार राज ने कथन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2021 सही पारित किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया जिससे पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट नोटिस दिनांक 15.02.2021 द्वारा सूचित किया गया जिस पर अपीलांट ने दिनांक 25.02.2021 उपस्थित आकर जवाब नोटिस पेश किया, अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य/स्थगन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब नोटिस में अपीलांट द्वारा जमीन रकबाराज होना अंकित किया है। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक यथावत रखा जाता है।अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:18:12 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner